न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्या:414/16 (आरसीएमएस नं. 2016/00001)

1. प्रभाती बेवा नोपाराम,
2. सुल्तान,
3. सुरजाराम,
4. भगवान सहाय पुत्रान नोपाराम,
5. भंवर,
6. रामकरण,
7. मदन पुत्रान जगदीश,
8. हनुमान पुत्र घासी समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम लखेर तहसील आमेर, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 20.09.2021

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर के आदेश दिनांक 21.10.2016 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीगण ग्राम लखेर तहसील आमेर जिला जयपुर की गत खसरा नम्बर 208/2 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा बारानी सोयम 4 बीघा 5 बिस्वा बंजड़ सोयम 4 बीघा 10 बिस्वा के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, उक्त गत खसरा नम्बर से वर्तमान बन्दोबस्त में खसरा नम्बर 772 रकबा 0.10 हैक्टयर बनाया जाकर नया रास्ता कायम कर दिया गया जबकि पूर्व के रिकार्ड में व पूर्व के नक्शें में रास्ता नही था, ना ही मौके पर कोई रास्ता था जिसकी दुरूस्ती हेतु सन् 2001 में प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा दिनांक 31.08.2001 को अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण को खसरा नम्बर 772 की यथास्थिति रखने के लिये पाबन्द किया गया एवं दिनांक 17.06.2010 को अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश को कन्फर्म करते हुये ताफैसला वाद अप्रार्थीगण/प्रत्यार्थीगण को पाबन्द किया गया जो वर्तमान में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.10.2016 तक 16 वर्ष तक उक्त खसरा नम्बरान की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति रही है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथनकिया है कि प्रकरण सन् 2001 से निर्णरू दिनांक 21.10.2016 तक धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत

P.T.O

प्रोसेडिंग चलती रही जिसमें तहसीलदार आमेर से करीब तीन बार मौका रिकार्ड मंगाई गई प्रथम रिपोर्ट दिनांक 02.10.2001, द्वितीय रिपोर्ट दिनांक 17.05.2010 एवं तृतीय रिपोर्ट दिनांक 06.01.2012 व अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 30.05.2016 तहसील से प्राप्त की गई इन समस्त रिपोर्ट से मौक स्थिति पगडन्डी के रूप मे ढाई फिट से 3 फिट तक बताई गई है ऐसी अवस्था में स्पष्ट है कि खेतों में आने–जाने के लिये पगडन्डी रास्ता विगत 40–50 वर्षो से प्रार्थी/अपीलार्थीगण स्वयं अपने खेतों में आने–जाने के लिये उपयोग में लेते है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वैधानिक स्थिति को नजर अन्दाज करते हुए विगत 16 वर्ष में न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही को अनदेखा कर प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि धारा 136 के अन्तर्गत प्रकरण पोषणीय नही है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा मुख्य रूप से यह एतराज उठाया गया था कि भू प्रबन्ध विभाग को नया रास्ता कायम करने के क्षेत्राधिकार नही है और ना ही खातेदारी रकबे को कम कर सिवायचक करने के अधिकार है। इस प्रकार की कार्यवाही कानूनन नल एण्ड वोईड है तथा नया रास्ता 4 मीटर मौका के विपरित रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.10.2016 को निरस्त फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 772 रकबा 0.10 हैक्टयर वाके ग्राम लखेर तहसील आमेर प्रत्यार्थीगण के खाते से निरस्त किया जाकर अपीलार्थीगण के खाते में अंकिन किये जाने के आदेश फरमायें जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 772 रकबा 0.10 हैक्टयर में गै.मु. रास्ता सिवायचक जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा उक्त चालू रास्ता सार्वजनिक है जो लोगो के आवागमन के काम में आता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.10.2016 में किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न तहसीलदार आमेर के पत्रांक 404 दिनांक 17.05.2010 में अंकित किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 772 रकबा 0.10 है जो गै.मु. रास्ता साबिक नक्शे में दर्ज नही है जबकि हाल नक्शा सीट में रास्ता दिखाया गया है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि उक्त गलती दौराने भू प्रबन्ध कार्यवाही हुई है जिसे दुरूस्त किये जाने का क्षेत्राधिकार अधिनस्थ न्यायालय को प्रदत्त है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.10.2016 पारित किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.10.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुन विधि सम्मत निर्णय 3 माह में पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।